

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (म०प्र०)

//ज्ञापन//

क्रमांक-क्यू/कोराना/20

नरसिंहपुर दिनांक-23.03.2020

प्रति,

अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ
नरसिंहपुर /गाडरवारा

विषय- दिनांक 23.03.20 एवं 24.03.20 को न्यायालय में कोई कार्य न होने एवं न्यायालय बंद रहने के संबंध में।

संदर्भ- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का ज्ञापन क्र० क्यू-2 जबलपुर दिनांक- 22.03.20

-0-

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के अंतर्गत लेख है कि जिला मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा संपूर्ण जिले में टोटल लॉकडाउन किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23 एवं 24 मार्च 2020 को अकार्य दिवस रहेगा तथा न्यायालय बंद रहेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रिमांड एवं जमानत कार्य जैसे छुट्टियों में किये जाते हैं उसी भांति संपादित किये जायेंगे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर

पृष्ठांकन क्यू/कोराना/20

नरसिंहपुर दिनांक-23.03.2020

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय रजिस्टार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुरकी ओर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नरसिंहपुर।
- 3- समस्त अधिकारीगण नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर नरसिंहपुर की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं जिला न्यायालय की ई गेल आई डी पर अपडोल किये जाने हेतु प्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी नजारत अनभाग नरसिंहपुर /गाडरवारा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर संलग्न नोटिस चस्पा करावें।
- 6- अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा की समस्त कर्मचारीगण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर